

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक—28/12/2018

संख्या—1/प्रशिक्षण 08/18 श्र०सं०.....168...../विभागीय अधिसूचना सं० 155, दिनांक  
18.12.18 द्वारा बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के कुछ पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया  
गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 2 के स्तम्भ 2 में अंकित “सहायक निदेशक, प्रावैधिक  
शिक्षा, मुख्यालय” के बदले “सहायक निदेशक, प्रशिक्षण” पढ़ा जाय।
3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मृग  
28/12/18  
(सूर्य कान्त मणि)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—1/प्रशिक्षण 08/18 श्र०सं०.....168...../ पटना, दिनांक—28/12/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में  
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,  
पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त  
सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/  
मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम  
संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मृग  
28/12/18  
सरकार के उप सचिव।